बिहार सरकार
स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग

संकल्प

विषय - वर्ष 2005-06 में स्वीकृत स्वास्थ्य उपकेन्द्र निर्माण, उत्क्रमण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उत्क्रमण एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उत्क्रमण की स्वीकृत सूची में अपरिहार्य कारणों से नाम/स्थल/योजना परिवर्तन की शक्ति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति।

वर्ष 2005-06 में निम्नांकित योजनाएँ स्वीकृत की गई थी और जिला पदाधिकारियों/भवन निर्माण विभाग को कार्य कराने हेतु आदेश दिया गया था-

(1) 751 स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण - 6,48,900/- रु० की दर से

(2) 2264 स्वास्थ्य उप केन्द्रों का उत्क्रमण - 2,16,040/- रु० की दर से

(3) 398 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उत्क्रमण - 23,00,000/- रु० की दर से

(4) 73 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य का उत्क्रमण - 23,98,300/- रु० की दर से

2. उक्त स्वीकृत योजनाओं के अधीन अधिकांश स्थलों पर कार्य प्रारम्भ हो गया है परन्तु कुछ जिलों से यह सूचना आ रही है कि जमीन की अनुपलब्धता, कुछेक जगहों पर दूसरे मद से कार्य प्रारम्भ होने/पूरा होने के कारण स्वीकृत योजनाओं की सूची में नाम/स्थल परिवर्तन की जरूरत है। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उत्क्रमण की आवश्यकता कुछ जिलों में महसूस नहीं की जा रही है, उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं में आंशिक परिवर्तन करने की शक्ति निम्न शर्तों के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रत्यायोजित की जाए:-

(क) स्वास्थ्य उप केन्द्रों के निर्माण हेतु जिला के लिए निर्धारित सीमा के अन्तर्गत स्थल/परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उत्क्रमण/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उत्क्रमण एवं स्वास्थ्य उप केन्द्रों का उत्क्रमण सम्बंधित उप शीर्ष के अनुरक्षण एवं मरम्मत इकाई के अन्तर्गत लिया गया है इसलिए सम्बंधित जिले के लिए उपरोक्त कार्य के लिए आवंटित राशि की सीमा के अन्तर्गत राशि व्यय नहीं हो पाने की स्थिति में अनुरक्षण एवं मरम्मत इकाई में उसी जिले में सदृश योजना सम्बंधित उप शीर्ष के उसी इकाई के अन्तर्गत ली जा सकेगी।

(ग) उपरोक्त परविर्तन स्वीकृत योजनाओं के लिए सम्बंधित जिले के लिए जो राशि आवंटित पूर्व में की गई थी उसी सीमा के अन्तर्गत होगा। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(घ) उक्त परिवर्तन सम्बंधित जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर किया जा सकेगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपर्युक्त संकल्प की पाँच सौ प्रतियाँ बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए तथा विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(दीपक कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-10/विविध-17-64/2005-352 (10) पटना, दिनांक 3 सितम्बर, 2006

प्रतिलिपि-अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलज़ारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस संकल्प की पाँच सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

ह०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/विविध-17-64/2005-352 (10) पटना, दिनांक 3 सितम्बर, 2006

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/विविध-17-64/2005-352 (10) पटना, दिनांक 3 सितम्बर, 2006

प्रतिलिपि-मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/विविध-17-64/2005-352 (10) पटना, दिनांक 3 सितम्बर, 2006

प्रतिलिपि-सरकार के सभी विभाग/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी जिला उप विकास आयुक्त/सभी अनुमंडलीय/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी असैनिक शल्य चिकित्स-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।